(4)

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, औरैया

प्रकीर्ण आदेश संख्या –46/2023 दिनांक 03.02.2023

जनपद न्यायालय औरैया में कार्यरत नियमित तृतीय श्रेणी कर्मचारी श्रीमती ऊषा देवी, श्री भूपेन्द्र सिंह, श्री कुलदीप सिंह, श्री आलोक कुमार, श्री अभिषेक यादव, श्री प्रशान्त कटियार, श्री जाविद, श्री अमित कुमार, श्री यशवत सिंह, श्री मोहित मिश्रा, श्री संदीप कुमार, श्री विक्रम सिंह, श्री प्रदीप सिंह एवं श्री अर्पित कुमार के कनिष्ठ सहायक (वेतनमान 5200–20–200 ग्रेड पे 2000) से वरिष्ठ सहायक के पद पर (वेतनमान 5200–20–200 ग्रेड पे 2800) के प्रोन्नति के सम्बन्ध में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री सत्य प्रकाश त्रिपाठी की आख्या दिनांकित 20.07.2022 प्रस्तुत की गयी, जिस पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं वरिष्ठता निर्धारण समिति से आख्या दिनांक 25.07.2022 तक प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

समिति की आख्या दिनांकित 25.07.2022 प्रस्तुत की गयी है, अनुमोदन के उपरांत मेरे संज्ञान में लाया गया कि समिति आख्या नियमानुसार नहीं है, तब पुनः सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन किया,जिसके अनुसार क्रम संख्या 1 श्रीमती ऊषा देवी के विरूद्ध दो प्रारम्भिक जाँच लम्बित होने के कारण उनके प्रोन्नति की संस्तुति नहीं की गयी है। नियमित तृतीय श्रेणी कर्मचारी क्रम संख्या 2 लगायत 4 का सेवा काल लगभग 3 वर्ष 3 माह होने के कारण उनके प्रोन्नति करने की संस्तुति की गयी तथा नियमित तृतीय श्रेणी कर्मचारी क्रम संख्या 5 लगायत 14 का सेवाकाल लगभग 2 वर्ष 8 माह हुआ था इसलिए समिति ने प्रोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 5345/2019,Recruitment cell/Allahabad H.C. dated 09.08.2019 तथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 4/2022/13 (4) 2021/का–1–2022, दिनांकित 6 मई, 2022 के प्रस्तर 1.2 के अनुसार तृतीय श्रेणी कर्मचारी क्रम संख्या 5 लगायत 14 को सामूहिक विवेक (Collective wisdom) का प्रयोग करते हुए चार माह रिलेक्शेसन देते हुए उनकी प्रोन्नति करने की संस्तुति की गयी है। इस रिपोर्ट को दिनांक 27.07.2022 को अनुमोदित किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 5345/2019,Recruitment cell/Allahabad H.C. dated 09.08.2019 का अवलोकन किया। जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेण्ट्रलाइज्ड रिक्रूटमेण्ट वर्ष 2016–17 के अंतर्गत चयनित अभ्यार्थियों के समायोजन दृष्टिगत अधीनस्थ न्यायालयों के वरिष्ठ सहायकों के पद पर कनिष्ठ सहायकों की पदोन्नति की जायेगी। जिसमें 5 वर्ष की मूल और संतोषजनक सेवा को तीन वर्ष की मूल और संतोषजनक सेवा से केवल एक बार शिथिलता (relaxing) दी जायेगी। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि उक्त पत्र के अनुसार केवल वर्ष 2016–17 के अंतर्गत चयनित अभ्यार्थियों को एक बार तीन वर्ष की मूल और संतोषजनक सेवा के आधार पर शिथिलता (relaxing) प्रदान की गयी थी। किन्तु सूची क्रमांक 2 लगायत 14 के अभ्यार्थी वर्ष 2019–2020 में चयनित हुए है, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 5345/2019, Recruitment cell/Allahabad H.C. dated 09.08.2019 के अनुसार वर्ष 2019–2020 में चयनित अभ्यार्थी सूची क्रमांक 2 लगायत 14 को पदोन्नति में रिलेक्सेशन नहीं दिया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 4/2022/13 (4) 2021/का–1–2022, दिनांकित 6 मई, 2022 के प्रस्तर 1.2 के अनुसार विभागीय चयन समिति को चयन हेतु अभ्यार्थियों की उपयुक्तता के समुचित मानको के निर्धारण हेतु अपनी प्रक्रिया तथा ढंग (method & procedure) निर्धारित करने का अधिकार है। इसी आधार पर समिति ने सामूहिक विवेक (Collective wisdom) उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर तृतीय श्रेणी कर्मचारी क्रम संख्या 5 लगायत 14 को सामूहिक विवेक (Collective wisdom) का प्रयोग करते हुए क्रमांक 2 लगायत 14 के अभ्यार्थियों को चार माह के शिथिलता (relaxing) देते हुए कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक में प्रोन्नति हेतु संस्तुति की गयी है। किन्तु उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर 1.2 में यह अंकित नहीं है कि प्रोन्नति के सम्बन्ध मे पांच वर्ष से कम सेवा होने पर प्रोन्नति में शिथिलता (relaxing) दी जायेगी या नही।

शासनादेश संख्या –वे0आ0–2–44/दस–54 (एम) 2008टी0सी0 वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 17 जनवरी 2014 के प्रस्तर–2 के अनुसार लिपिकीय संवर्ग उपर्युक्त ढांचे में विभिन्न पदो पर पदोन्नति के लिए निर्धारित की गयी सेवा अवधि के शिथिलीकरण के सम्बन्ध में पुनर्विचार किया गया और विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया, यदि विभाग में पदोन्नति के पद उपलब्ध है और पदोन्नति के लिए निर्धारित पोषक पद पर प्रोन्नति के अर्ह कार्मिक की पोषक पद पर सेवा अवधि प्रस्तर–1 में निर्धारित सेवा अवधि के अनुसार पूर्ण नहीं है तो उस दशा में पदोन्नति के लिए निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार शिथिलीकरण कर सेवा अवधि की गणना की जायेगी, परन्तु अवधि की गणना के लिए यह शिथिलीकरण नियुक्त प्राधिकारी से एक स्तर के ऊपर के अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर किया जा सकेगा:–

2 (1) वरिष्ठ सहायक/प्रधान सहायक पद पर प्रोन्नति हेतु कनिष्ठ सहायक के पद पर न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गयी हो, परन्तु कनिष्ठ सहायक के पद से प्रधान सहायक के पद पर सीधे प्रोन्नति नहीं की जा सकेगी।

उक्त शासनादेश से स्पष्ट है कि कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिए। चूँकि उक्त कर्मचारीगण क्रमांक 2 लगायत 14 की पांच वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं हुई है। इसलिए कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नति नहीं की जा सकती। उनकी पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण होने के उपरांत ही विचार किया जा सकता है।

अतः समिति द्वारा उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 5345/2019, Recruitment cell/Allahabad H.C. dated 09.08.2019 एवं उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 4/2022/13 (4) 2021/का–1–2022, दिनांकित 6 मई, 2022 के प्रस्तर 1.2 के आधार पर अभ्यार्थी क्रमांक 2 लगायत 14 की कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक में की गयी प्रोन्नति हेतु अनुमोदन दिनांक 27.07.2022 निरस्त किया जाता है।

लेखा लिपिक को आदेशित किया जाता है कि यदि क्रमांक 2 लगायत 14 के वेतन में उक्त अनुमोदन के आधार पर वेतन निर्धारण कर दिया हो तो उक्त अभ्यार्थियों के वेतन से नियमानुसार कटौती कर ली जाये एवं पूर्व वेतनमान के अनुसार उनका वेतन आहरित किया जाये।

Scanned with CamScanner

इस आदेश की एक–एक प्रतिलिपिक लेखा लिपिक, कोषागार औरैया को अनुपालनार्थ प्राप्त करायी जाये तथा सम्बन्धित कर्मचारियों को सूचनार्थ प्राप्त करायी जाये।

जनपद न्यायाधीश,
औरैया
03.02.2023

Scanned with CamScanner